


4/9/23

पञ्जावली पेश हुई। वकील उमम पक्ष/उप०।
वकील वादी उप० न्यायालय होकर

नोट प्रेस
Saw...

उक्त प्रकरण में Note press कर
प्रकरण को भागे नहीं चलाना चाहिए
किन्ना। अतः वकील वादी को निवेदन
स्वीकार कर प्रकरण को इसी
स्तर पर खारिज किन्ना जाता है।
पञ्जावली फैसल श्रुमार होकर पक्ष
नम्बर से कम हो तथा बाद तन्मिल
जाप्ता दारिक्त दफ्तर हो।


ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ

